संख्या-86/2026/649/2026/23-7099/106/2025

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक :23 मई, 2026

विषय- लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों में अधिक पारदर्शिता, शुचिता एवं समयबद्धता हेतु निविदाओं के निस्तारण की प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4984नि0/निविदा/25-26, दिनांक 11.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों में अधिक पारदर्शिता, शुचिता एवं समयबद्धता हेतु निविदाओं के निस्तारण की प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त विभाग में निर्माण कार्यों में अधिक पारदर्शिता, शुचिता एवं समयबद्धता हेतु दोनों बिडिंग डाक्यूमेन्ट्स के माध्यम से प्राप्त होने वाली निविदाओं में निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(अ) एस0बी0डी0 के आधार पर प्राप्त होने वाली रू0 5.00 करोड़ से अधिक लागत की निविदायें:-

1- कम लागत के आधार पर निविदाओं में निम्नानुसार अतिरिक्त परफारमेन्स सेक्योरिटी निविदादाताओं से जमा कराई जायेगीः-

क्र0 सं0	**डाली गयी निविदा लागत का आगणित लागत के सापेक्ष प्रतिशत।**	**न्यूनतम निविदादाता द्वारा जमा की जाने वाली अतिरिक्त परफारमेन्स सेक्योरिटी**
1	10 प्रतिशत तक बिलो (Below)	शून्य
2	10 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) तथा 15 प्रतिशत तक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 50 प्रतिशत
3	15 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) तथा 20 प्रतिशत तक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 100 प्रतिशत
4	20 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 150 प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- 15 प्रतिशत से अधिक कम दरों के निविदादाताओं के चयन से पूर्व सम्बन्धित ठेकेदारों के निर्माणाधीन/निर्मित कार्यों की नियमानुसार गुणवत्ता की जॉच कराकर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

<u>लोक निर्माण विभाग के निर्मित/निर्माणाधीन कार्य-</u>

(क) लोक निर्माण विभाग में प्रत्येक ऐसे कार्य जिनकी निविदा में किसी निविदादाता द्वारा 15 प्रतिशत से अधिक कम निविदा डाली जाती है तो उस निविदादाता के लोक निर्माण विभाग में सबसे अधिक कम दरों पर गठित दो अनुबंधों का चयन कर, कार्यों की जाँच कराई जाएगी।

(ख) कार्यों की गुणवत्ता की चेकिंग सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता एवं मुख्यालय से नामित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की जायेगी।

(ग) खराब गुणवत्ता का कार्य प्राप्त होने पर मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुबन्धित ठेकेदार को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये, दो वर्ष के लिये डिबार किया जायेगा।

(घ) उपरोक्त बिन्दु (ग) के अनुसार ठेकेदार को डिबार किये जाने की स्थिति में उसकी निविदा निरस्त करते हुये पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।

<u>अन्य विभागों के निर्माणाधीन कार्य-</u>

(क) यदि निविदा डालने वाले ठेकेदार के लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में कार्य चल रहे हों, तो निविदादाता द्वारा इसकी सूचना तथा अद्यतन बिड कैपेसिटी निविदा डालने के समय अपलोड करेंगे। यह सूचना अन्तिम मानी जाएगी एवं इसमें परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) यदि लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त प्रदेश के किसी अन्य विभाग में रू. 5 करोड़ से अधिक लागत का कोई कार्य निर्माणाधीन है या तकनीकी बिड खुलने की तिथि से 2 वर्ष पूर्व पूर्ण हुआ हो, तो निविदादाता को सम्बन्धित विभाग के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी से कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि भविष्य में पाया जाता है कि निविदादाता द्वारा अन्य विभाग के रू. 5 करोड़ से अधिक लागत के निर्माणाधीन कार्य या दो वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण किये गये कार्य को विभाग से छुपाया गया है, तो ठेकेदार को दो वर्ष के लिए डिबार करते हुए अनुबन्ध का निरस्तीकरण कर सामान्य एवं अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी।

(घ) ऐसे निविदादाता, जिनका प्रदेश के किसी भी विभाग में रू0 5 करोड़ से अधिक लागत का कोई निर्माणाधीन कार्य नहीं चल रहा है एवं तकनीकी बिड खुलने की तिथि से दो वर्ष पूर्व तक कोई कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनके द्वारा 15 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर निविदा डाले जाने की स्थिति में निम्नानुसार अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जानी आवश्यक होगी, क्योंकि उनके द्वारा कम दरों पर किये गए कार्यों का आंकलन लोक निर्माण विभाग या प्रदेश के किसी अन्य विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं होगा।

15 प्रतिशत से कम दरों पर ऐसे निविदादाता द्वारा जिनका प्रदेश में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है एवं तकनीकी बिड खुलने की तिथि से 2 वर्ष पूर्व कोई निर्माण कार्य पूर्ण न किया गया हो, हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी-

क्र0 सं0	**डाली गयी निविदा लागत का आगणित लागत के सापेक्ष प्रतिशत।**	**न्यूनतम निविदादाता द्वारा जमा की जाने वाली अतिरिक्त परफारमेन्स सेक्योरिटी**
1	15 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) तथा 20 प्रतिशत तक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 120 प्रतिशत
2	20 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 170 प्रतिशत

(च) अन्य विभागों में चल रहे निर्माण कार्यों की कार्य समाप्ति की तिथि व्यतीत हो जाने एवं समयवृद्धि सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न होने की स्थिति में अथवा समयवृद्धि आर्थिक दण्ड सहित स्वीकृति होने की स्थिति में निविदादाता को अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

(छ) अन्य विभागों के निर्माणाधीन कार्यों को छिपाने की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में स्थानीय निविदा समिति सम्बन्धित ठेकेदार को ई-मेल भेजकर स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करेगी। सम्बन्धित ठेकेदार को स्थिति स्पष्ट करने के लिये 48 घण्टे का समय दिया जायेगा। यदि वास्तव में कार्य छिपाया गया है तो बिड को नॉन-रिस्पान्सिव घोषित कर दिया जायेगा।

3- प्राप्त निविदाओं का निस्तारण:-

(क) 15 प्रतिशत से कम दरों पर प्राप्त निविदादाताओं में एन0आई0सी0 के पोर्टल से प्राप्त सबसे कम दर वाले निविदादाता को न्यूनतम निविदादाता घोषित किया जाएगा।

(ख) यदि दो या उससे अधिक निविदादाताओं की दरें एक समान प्राप्त होती हैं, तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी-

एक समान दरों के निविदादाताओं के नाम प्रहरी एप्लीकेशन के रैण्डमाइजेशन एप में लोड कर निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रथम न्यूनतम निविदादाता का चयन किया जाएगा।

(ब) टी0-1 एवं टी0-2 के आधार पर प्राप्त होने वाली रू0 5.00 करोड़ से कम लागत की निविदायें:-

1- कम लागत के आधार पर निविदाओं में निम्नानुसार अतिरिक्त परफारमेन्स सेक्योरिटी निविदादाओं से जमा कराई जायेगी:-

क्र0 सं0	**डाली गयी निविदा लागत का आगणित लागत के सापेक्ष प्रतिशत।**	**न्यूनतम निविदादाता द्वारा जमा की जाने वाली अतिरिक्त परफारमेन्स सेक्योरिटी**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	10 प्रतिशत तक बिलो (Below)	शून्य
2	10 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) तथा 15 प्रतिशत तक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 50 प्रतिशत
3	15 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) तथा 20 प्रतिशत तक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 100 प्रतिशत
4	20 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below)	निविदा की आगणित लागत एवं निविदादाता की लागत के अन्तर का 150 प्रतिशत

2- 15 प्रतिशत से अधिक कम दरों के निविदादाताओं के चयन से पूर्व सम्बन्धित ठेकेदारों के लोक निर्माण विभाग में निर्माणाधीन कार्यों की नियमानुसार गुणवत्ता की जांच कराकर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

<u>लोक निर्माण विभाग के निर्मित/निर्माणाधीन कार्य-</u>

(क) लोक निर्माण विभाग में प्रत्येक ऐसे कार्य जिनकी निविदा में किसी निविदादाता द्वारा 15 प्रतिशत से अधिक कम निविदा डाली जाती है, तो उस निविदादाता के एक कार्य का चयन वरीयता के आधार पर उसी मण्डल से किया जाएगा, जहां निविदा डाली गई हो एवं सबसे अधिक कम दर पर गठित अनुबंध के कार्य की जांच कराई जाएगी। यदि उस मण्डल में कोई निर्माणाधीन कार्य न हो, तो अन्य मण्डल से सबसे अधिक कम दर पर गठित अनुबंध का चयन कर जांच कराई जाएगी।

(ख) कार्य की गुणवत्ता की जांच सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित अन्य वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जायेगी।

(ग) खराब गुणवत्ता का कार्य प्राप्त होने पर निविदादाता को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये दो वर्ष के लिये डिबार किया जायेगा एवं उस निविदा को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।

(घ) तकनीकी मूल्यांकन में निविदादाताओं द्वारा अन्य विभागों में किये गये कार्यों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा एवं बिड कैपेसिटी का मूल्यांकन प्रहरी सॉफटवेयर द्वारा स्वयं किया जाएगा। अन्य विभागों के कार्यों की गुणवत्ता, अपूर्ण कार्य या कार्य छिपाये जाने से सम्बन्धित किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(ड.) स्थानीय निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा। प्रकरण प्रहरी समिति, लखनऊ को प्रेषित नहीं किया जाएगा।

3- प्राप्त निविदाओं का निस्तारण:-

i.15 प्रतिशत से कम दरों पर प्राप्त निविदादाताओं में एन0आई0सी0 के पोर्टल से प्राप्त सबसे कम दर वाले निविदादाता को न्यूनतम निविदादाता घोषित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ii. यदि दो या उससे अधिक निविदादाताओं की दरें एक समान प्राप्त होती हैं, तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

एक समान दरों के निविदादाताओं के नाम प्रहरी एप्लीकेशन के रैण्डमाइजेशन एप में लोड कर निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रथम न्यूनतम निविदादाता का चयन किया जाएगा।

(स) प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में भविष्य में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता होगी तो मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से तद्नुसार निर्णय लिया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय चौहान
प्रमुख सचिव।

संख्या-86/2026/649(1)/2026/23-7099/106/2025,तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त आयुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम,लि0/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लि0 लखनऊ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in